



राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-1) विभाग

क्रमांक : प.5(2)कार्मिक/क-1/ 2024

जयपुर, दिनांक : 02-05-2024

आज्ञा

निम्नांकित भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों के स्थानान्तरण / पदस्थापन राज्याहित में एतद्वारा तुरन्त प्रभाव से किए जाते हैं:-

क्रमांक	अधिकारी का नाम	वर्तमान पद	नवीन पद
1	डॉ. रवि प्रकाश मेहरडा (1990)	महानिदेशक पुलिस, एस.सी.आर.बी. एवं साईबर क्राईम एवं तकनीकी सेवाएं (टेलिकॉम्यूनिकेशन एवं टेक्निकल), राजस्थान, जयपुर	महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर
2	श्री हेमन्त प्रियदर्शी (1992)	अतिरिक्त महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर	अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, एस.सी.आर.बी. एवं साईबर क्राईम, राजस्थान, जयपुर
3	श्री सचिन मित्तल (1996)	अतिरिक्त महानिदेशक (भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड) एवं साईबर क्राईम, राजस्थान, जयपुर	अतिरिक्त महानिदेशक (भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड), राजस्थान, जयपुर

राज्यपाल की आज्ञा से,

(कानिष्ठ कटारिया) 25/05/2024

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
- 2 अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
- 3 विशिष्ट सहायक / निजी सचिव, समस्त उप मुख्यमंत्री / मंत्री / राज्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
- 4 संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
- 5 सम्बन्धित अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / सम्भागीय आयुक्त / विशिष्ट शासन सचिव।
- 6 महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
- 7 समस्त सम्बन्धित कार्यालय अधिकारी।
- 8 समस्त सम्बन्धित अधिकारी।
- 9 अतिरिक्त निदेशक, कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
- 10 निजी पत्रावली / लेखा पत्रावली / रक्षित पत्रावली।
- 11 संबंधित विभाग को प्रेषित कर लेख है कि आपके कार्यालय से कार्यमुक्त होने वाले अधिकारीगण के गत भुगतान प्रमाण-पत्र (LPC) की प्रति एवं उपरोक्त पद हेतु उन्हे भुगतान किए गए वेतन के आधार पर सेवा सत्यापन की सूचना (प्रपत्र GA-141 में) इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावों।

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली।
- 2 मुख्य आवासीय आयुक्त, राजस्थान सरकार, बीकानेर हाउस, पण्डारा रोड, नई दिल्ली।

संयुक्त शासन सचिव